न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 328-तीन/2002 - विरूद्ध आदेश दिनांक 29-11-2001- पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 3/2001-02 अपील

ग्राम पंचायत रामपुर कलॉ
व्दारा सरपंच तहसील सवलगढ़
जिला मुरेना ----अपीलांट

विरूद्ध

1- हजारीलाल पुत्र चतुरीलाल
2- बाबूलाल पुत्र महासुन्दर
3- पारीछत पुत्र शंकरिया
4- रामजी पुत्र भगवानलाल
5- आनन्द पुत्र अर्जुन
6- विजेन्द्रकुमार चतुर्वेदी जनपद सदस्य
ग्राम रामपुर कलॉ तहसील सवलगढ
7- मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(रिस्पा. सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19-1 -2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 3/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-11-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 98/2000-01 अ 60 में पारित आदेश दिनांक

20-2-2001 से ग्राम रामपुर कलॉ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1172 रकबा 0.324 हैक्टर शासकीय खलिहान से नोईयत बदलकर एक वीघा भूमि मरघट के लिये, 11 विसवा भूमि मुर्दामवेशी के लिये आरक्षित की। इस आदेश के विरूद्ध रिस्पा. 1 से 5 ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 3/2001-02 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 29-11-2001 से अपील स्वीकार कर कलेक्टर मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 98/2000-01 अ 60 में पारित आदेश दिनांक 20-2-2001 निरस्त किया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि पूर्व से मरघट के लिये उपयोग में आ रही भूमि यदि थाना व रास्ते के उपयोग में आ रही हो तब ग्राम में अन्य शासकीय भूमि जो ग्राम से दूर हो, भूमि का चयन कर मरघट एंव मुर्दामवेसी के लिये सुरक्षित रखने की कार्यवाही की जाय। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील की गई है।

3/ अपील मेमो में वर्णित तथ्यों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम रामपुर कलॉ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1172 रकबा 0.324 हैक्टर पूर्व से ही खलिहान के लिये आरक्षित होकर अभिलेख में दर्ज है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 (1) में दर्शाए प्रयोजनों के लिये विशेष रूप से आरक्षित रखी गई भूमियों की नोईयत सामान्यतः नहीं बदलना चाहिये क्योंकि ऐसी भूमियॉ सार्वजनिक प्रयोजन के उद्धेश्य के

आरक्षित रखी जाती हैं। जब ग्राम में पूर्व से ही मरघट के लिये भूमि आरक्षित होकर मरघट प्रयोग में है तब उसी उद्वेश्य के लिये अन्य भूमि का चयन उचित नहीं ठहराया जा सकता। जैसाकि अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 29-11-2001 में निष्कर्ष दिया है कि पूर्व से मरघट प्रयोजन की भूमि यदि थाना एंव रास्ते के उपयोग में आ रही है तब ग्राम से दूर एंव ग्रामवासियों के सुविधा-जनक स्थिति की अन्य भूमि इन कार्यो हेतु चयनित कर आरक्षित की जॉय। विद्वान अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा विस्तृत विवेचना कर ग्रामवासियों के हित में उचित निर्णय लिया है, जिसमें किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 3/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-11-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर